बिहार सरकार
उद्योग विभाग

अनु0-1

पत्रांक 11740,
प्रेषक:

श्री कृष्णानन्द [illegible]
अवर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
पटना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

विषय:- पटना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार द्वारा भूमि की स्थानान्तरण की स्वीकृति।

महोदय,

उपयुक्त विषय में आप अपने पत्रांक सं0 828/डीओ सी पी0 आडा दि0 27/4/82 का अवलोकन करें। जिसमें आपने सर्वश्री [illegible] प्रोजेक्ट -स, पटना को भूमि स्थानान्तरण करने के संबंध में आवश्यक निदेश मांगा है। उपर्युक्त विषय पर विचार करने के पश्चात सरकार ने निर्णय लिया है कि सैद्धांतिक रूप में निम्नलिखित मामलों में भूमि का स्थानान्तरण प्राधिकार को समान कर देना चाहिये:-

1-सामान्यत: प्राधिकार इस बात की जानकारी रखनी चाहिये कि जिस व्यक्ति को भूमि आवंटित की गयी है वे उद्योग लगाने के संबंध में कोई कार्रवाई कर रहे है अथवा नहीं? यदि वह कोई कार्रवाई नहीं करती है तो प्राधिकार को भूमि का आवंटन रद्द कर देना चाहिये।

2- यदि कोई इकाई ठीक से कार्यरत है और उसका मालिक अपने इकाई को बेचना चाहती है और नया खरीददार जो प्राधिकार की राशि देय है उसका भुगतान के लिये तैयार है तो प्राधिकार को भूमि स्थानान्तरण में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

3-यदि कोई इकाई ठीक से नहीं चल रही है और पुराने प्रबंधन नये प्रबंधन को इकाई स्थानान्तरण करना चाहती है तो प्राधिकार को स्थानान्तरण स्वीकार कर लेनी चाहिये। यदि नया प्रबंधन प्राधिकार का सभी बकाया राशि का भुगतान के लिये तैयार हो जाता है।

4-यदि कोई इकाई ठीक से नहीं चल रही है और उसका मालिक किसी वित्तीय संस्थान को गिरवी में देना चाहता है और नया साझेदार का हिस्सा 51 प्रतिशत से अधिक है तो भी प्राधिकार को भूमि स्थानान्तरण में स्वीकृति दे देनी चाहिये यदि नया प्रबंधन पुराने पूरे दायित्व (इक्यू एण्ड लैबिलिटीज) लेने के लिये तैयार हो।

ऐसे भी कोई कोई मामला आते हैं जिसमें किसी व्यक्ति को भूमि आवंटित किया है और वह इकाई को स्थापित करने लगता है परन्तु इकाई को स्थापित करने के क्रम में वह किसी अन्य साझेदार को ले लेता है परन्तु

क्र0 पृ0 उ0

फिर उद्योग बैठाने के क्रम में वे आवेदार से अलग [illegible] स्थिति में भी प्राधिकार को भूमि आवंटन [illegible] दे देनी चाहिये यदि नया पदधारी प्राधिकार को [illegible] भुगतान करने के लिये तैयार हो जाता है।

[illegible] कार्य को स्थापित करने की परिभाषा [illegible] विभाग ने विचार किया था और निम्नलिखित प[illegible] स्थापित करने के संबंध में दी गयी :-

क) इकाई स्थापित करने के लिये वित्तीय संस्थाओं से ऋण [illegible] हो गया हो,

ख) प्लांट एवं मशीनरी के लिये आदेश दे दिया गया हो,

ग- इकाई का या भवन निर्माण छत के लाभाग आ गया हो।

यदि कोई व्यक्ति बिना निर्माण कार्य आरम्भ किये [illegible] की भूमि का स्थानान्तरण चाहता है तो उसमें प्राधिकार को किसी [illegible] हालत में भी स्वीकृति नहीं देनी चाहिये।

विश्वासभाजन,

ह०

सरकार के उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार,
पटना।